न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास भंवर लाल मेहरा आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2019/55 (2019/00055) जिला–नागौर

मोहम्मद शरीफ पुत्र उमर खां जाति शेरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर।

---अपीलार्थी

बनाम

1. अब्दुल रहमान पुत्र इब्राहिम जाति शेरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर, डीडवाना दिनांक 11–01–2019 प्रार्थना पत्र
संख्या 04/2019 बउनवान अब्दुल रहमान बनाम तहसीलदार

उपस्थित– 1. श्री समीर अहमद अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेम सिंह राठौड़, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 01–03–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, डीडवाना द्वारा एक प्रार्थन पत्र दिनांक 26–12–2017 को सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम शेरानी आबादी पटवार मण्डल शेरानी आबाद के संलग्न सूची के अनुसार चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबंदी एवं नक्शे में अंकन किये जाने बाबत पेश किया जिसे स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 3–1–2018 द्वारा ग्राम शेरानी आबादी में चालू स्थाई सर्वजनिक रास्तो का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाने के आदेश पारित कर दिये जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष एक रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 11–1–2019 को प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी को बिना सुने व बिना नोटिस दिये ही निर्णय पारित

किया है जिसे अपास्त कर प्रत्यर्थी को सुनकर पुनः निर्णय पारित करे जिस पर सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 1236/144 रकबा 11 बिस्वा की पूर्व निर्णय दिनांक 3–1–2018 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित करे दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य मुख्य तर्क दिये कि तहसीलदार, डीडवाना द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष दिनांक 26–12–2017 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जिनका राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं है, के अंकन का आदेश प्रदान करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व नियम 1957 के नियम 58 के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दौराने गश्त गिरदावरी ग्राम शेरानी आबाद की सरहद में संलग्न सूची एवं नजरी नक्शे के अनुसार ऐसे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये है जिनका राजस्व रेकार्ड एवं जमाबंदी एवं नक्शे में अंकन नहीं है जिनको नियम 59,60,66 व 86 तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत उनका राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने हेतु अभिशंषा करते हुए चालू सार्वजनिक रास्ते का जमाबंदी एवं नक्शे में अंकन किये जाने हेतु आदेश पारित करावे। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा आदेश दिनांक 3–1–2018 पारित कर उपरोक्त रास्ते को स्थाई सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख के रूप में अंकन किये जाने का आदेश पारित कर दिया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक नजरसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 11–1–2019 को सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 3–1–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11–1–2019 को नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम शेरानी आबादी के खसरा नम्बर 1236/144 रकबा 11 बिस्वा की निर्णय दिनांक 3–1–2018 से पूर्व की स्थिति बहाल कर पत्रावली दिनांक 7–3–2018 को नियत कर दी जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने एक निगरानी याचिका माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष दिनांक 21–1–2019 को प्रस्तुत की जिस पर माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 22–1–2019 को सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–1–2019 की पालना स्थगित रखते हुए विपक्षी को नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित कर दिये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 7–3–2019 नियत कर दी तत्पश्चात दिनांक 29–1–20.19 को प्रत्यर्थी की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति पेश की, कि उक्त निगरानी संधारण योग्य नहीं है क्योकि आदेश 41 नियम 1 सीपीसी

के प्रावधानों के तहत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कियेजाने के विरूद्ध अपील का प्रावधान है जो संभागीय आयुक्त के समक्ष संधारण योग्य होती है। इसी आधार पर माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 18–2–2019 को आदेश पारित करते हुए निगरानी को खारिज कर दिया।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद व धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 7–1–2019 को ही स्थगन आदेश पारित किया गया था किन्तु उसके पश्चात पुनः रिव्यू प्रार्थना पत्र पर इस प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया है जो कानूनन उनके द्वारा दिया ही नहीं जा सकता था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बउनवान तहसीलदार बनाम अजीज में आदेश पारित करते समय स्वयं अब्दुल रहमान की अंगूठा निशानी सहमति के प्रार्थना पत्र पर थी इसलिए उनका यह अंकन किया जाने कि उन्हें नोटिस जारी नहीं किये गये थे सरासर गलत है तथा जानबूझकर अब्दुल रहमान जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा है जिसने नजरसानी प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 2 में अपने आपके अनपढ़ व्यक्ति घोषित किया है किन्तु उक्त पत्रावली में की गई अंगूठा निशानी को झूठा करार करने की गरज से नजरसानी प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये है जो एक साजिश का हिस्सा है जिसके आधार पर इस प्रकार का आदेश प्रथम पेशी पर पारित ही नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज किया जा सकता था परन्तु पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का प्रावधान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में नहीं है परन्तु उसके बावजूद भी उन्होंने इस प्रकार का आदेश पारित किया जिसमें पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 3–1–2018 से पूर्व की स्थिति बहाल रखे जाने का आदेश पारित कर दिया जो लगभग एक वर्ष पश्चात प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र में ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। राजस्व न्यायालयों को केवल निषेधात्मक निषेधाज्ञा पारित की जा सकती है न कि बाध्यात्मक निषेधाज्ञा जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने मेन्डेटरी निषेधाज्ञा जारी की जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 क्लीन हेंड से नहीं आया है क्योंकि इससे पूर्व स्वयं अब्दुल रहमान ने अपने भाईयों के विरूद्ध एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 के तहत प्रस्तुत कर आपस में राजीनामा किया एवं खसरा नम्बर 1236 / 144 में से रास्ता कायम करवाया गया तथा उपरोक्त रास्ता वर्तमान के रास्ते के नम्बर पर ही है एवं उसी दिशा में है तथा उसी स्थान पर है परन्तु उन सभी तथ्यों को छिपाते हुए यह नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

किया जो केवल निरस्त किये जाने योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकार का आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रस्तुत किया किन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11–1–2019 की पालना में राजस्व अभिलेखों में पूर्व की स्थिति बहाल कराते हुए रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–1–2019 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसीलदार डीडवाना द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के न्यायालय में दिनांक 26–12–2017 को इस आशय का पेश किया कि खातेदारी आराजी पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जिनका राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं है, के अंकन का आदेश प्रदान करने हेतु भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58 के अनुसार हल्का पटवारी फसल खरीब सम्वत् 2073 दौरान गत गिरदावरी ग्राम शेरानी आबाद की सरहद में संलग्न सूची व नजरी नक्शा अनुसार मौके पर सार्वजनिक रास्ते पाये गये है जिनका राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी व नक्शे में अंकन नहीं है। प्रासंगिक नियम 59,60,66 व 86 तथा राजस्थान भू–राजव अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के प्रावधान अनुसार उनका अंकन राजस्व रेकार्ड में किये जाने की अभिशंषा की जाती है कि ऐसे चालू रास्ते का जमाबंदी व नक्शे में अंकन करने का आदेश प्रदान करावे।

उनका यह भी कथन है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा आदेश दिनांक 3–1–2018 द्वारा आदेश पारित कर उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख में अंकन करने का आदेश पारित कर दिया। इसी दौरान अब्दुल रहमान पुत्र इब्राहिम द्वारा एक नजरसानी प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 11–1–2019 को पेश कर कथन किया कि जो प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया है वह इब्राहिम पुत्र कालूखां जो प्रत्यर्थी अब्दुल रहमान का पिता है जो आराजी खसरा नम्बर 1236/144 रकबा 11 बिस्वा का खातेदार काश्तकार है उक्त प्रस्ताव में भूमि को 16 बिस्वा बताई गई है एवं मृत इब्राहिम को उक्त प्रस्ताव में नाम अंकित किये जाने एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्ताव होने एवं अब्दुल रहमान को न तो नोटिस जारी किया गया और न ही उसके द्वारा रास्ते बाबत सहमति दी गई एवं न ही माननीय न्यायालय द्वारा स्वयं मौके पर जाकर कोई जांच करवाई गई केवल मात्र तहसीलदार के कथनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास करते हुए विधिविरूद्ध आदेश पारित कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11–1–2019 को अब्दुल रहमान द्वारा प्रस्तुत

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 4/2019 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया कि प्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम शेरानी आबाद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1236/144 रकबा 11 बिस्वा विधिविरूद्ध निर्णय दिनांक 3–1–2018 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी 7–3–2018 नियत कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी मोहम्मद शरीफ पुत्र उमरखां द्वारा एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 347/2019 बउनवान मोहम्मद शरीफ बनाम अब्दुल रहमान दिनांक 21–1–2019 को पेश की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये व आगामी पेशी दिनांक 7–3–2019 नियत कर दी। जिस पर दिनांक 29–1–2019 को अब्दुल रहमान द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त निगरानी माननीय न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है क्योंकि आदेश 41 नियम 1 डब्लयू सीपीसी के प्रावधानों के तहत नजरसानी स्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। इस पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 18–2–2019 को मोहम्म्द शरीफ द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज कर दिया गया।

उनका यह भी तर्क है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा आदेश दिनांक 11–1–2019 के द्वारा प्रकरण को पुनः नम्बर पर ले लिया गया था तो अपीलार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करनी चाहिए थी एवं अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत अपील के पैरा नं0 8 में यह कथन कहे गये कि माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त इस अपील को संधारण योग्य नहीं भी माने तो न्यायालय को प्राप्त अर्न्तनिहित शक्तिया अन्तर्गत धारा 9 का उपयोग करे। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय में संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी एवं लिखित बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 के सन्दर्भ में अपने पत्र कमांक रास्ता/अभियान/2016/राजस्व/2682 दिनांक 26–12–2017 के द्वारा ग्राम शेरानी आबाद पटवार मण्डल शेरानी आबाद के संलग्न सूची अनुसार चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबंदी एवं नक्शे में अंकन किये जाने बाबत प्रस्ताव प्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10–08–2016 में प्रदत्त निर्देशों के कम में तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न सूची व ट्रेस नक्शे के अनुसार ग्राम शेरानी आबाद में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का

राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिनांक 3–1–2018 द्वारा पारित कर दिये। अब्दुल रहमान पुत्र इब्राहिम द्वारा एक नजरसानी प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 11–1–2019 को पेश कर कथन किया कि जो प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया है वह इब्राहिम पुत्र कालूखां जो प्रत्यर्थी अब्दुल रहमान का पिता है जो आराजी खसरा नम्बर 1236/144 रकबा 11 बिस्वा का खातेदार काश्तकार है उक्त प्रस्ताव में भूमि को 16 बिस्वा बताई गई है एवं मृत इब्राहिम को उक्त प्रस्ताव में नाम अंकित किये जाने एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्ताव होने एवं अब्दुल रहमान को न तो नोटिस जारी किया गया और न ही उसके द्वारा रास्ते बाबत सहमति दी गई एवं न ही माननीय न्यायालय द्वारा स्वयं मौके पर जाकर कोई जांच करवाई गई केवल मात्र तहसीलदार के कथनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास करते हुए विधिविरूद्ध आदेश पारित कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11–1–2019 को अब्दुल रहमान द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 4/2019 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया कि प्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम शेरानी आबाद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1236/144 रकबा 11 बिस्वा विधिविरूद्ध निर्णय दिनांक 3–1–2018 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी 7–3–2018 नियत कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने एक अपील नजरसानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 18–2–2019 द्वारा खारिज कर दी।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रस्तुत किया किन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11–1–2019 की पालना में राजस्व अभिलेखों में पूर्व की स्थिति बहाल कराते हुए रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। इसी आराजियात खसरा नम्बर 1236/144 बाबत अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद व धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 7–1–2019 को ही स्थगन आदेश पारित किया गया था किन्तु उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 11–1–2019 द्वारा स्वीकार कर ग्राम शेरानी आबाद के खसरा नम्बर 1236/144 रकबा 11 बिस्वा की निर्णय दिनांक 3–1–2018 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित कर दिये जिससे रास्ता अवरूद्ध हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 2/2019 में अप्रार्थीगण अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग डीडवाना को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था कि आगामी आदेश तक विवादित आराजियात वाके सरहद मौजा शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 1236/144 की भूमि में राजस्व अभिलेख में दर्शित गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर

1236 / 144 पर ही रोड निर्माण किया जावे तथा नया रास्ता बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के कायम नहीं करे। उक्त आदेश के विद्यमान रहते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए अपने आदेश दिनांक 11–9–2019 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 3–1–2018 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित कर दिये जबकि अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजियात से लगते समस्त प्रभावित पक्षकारों को विधिवत सुनकर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को नजरी नक्शे में रास्ते का आदेश पारित करने से पूर्व पड़ौसी खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था जबकि अपीलार्थी भी प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–01–2019 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–01–2019 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलार्थी व अन्य पड़ौसी खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाकर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तहसीलदार, डीडवाना से विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अवलोकन व अध्ययन कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का मौका निरीक्षण कर राजस्व रेकार्ड में अंकन संबंधी नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01–03–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर